रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233650
SG-DL-E-22022022-233650

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2022/फाल्गुन 2, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 465
No. 111]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2022/PHALGUNA 2, 1943	[N. C. T. D. No. 465

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग-अभियोजन निदेशालय शाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 17 फरवरी, 2022

सं. फा. 11/18/2020/एच-डीओपी/आर.आर-III/756–764.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24/09/1968 की अधिसूचना सं0 फा0 24/78/68–डीएच(एस के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपर लोक अभियोजक के पद से संबंधित भर्ती नियमावली, सं0 फा0 13/17/94/डीओपी/एचपी–II/344–350 दिनांक 19.01.2004 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद् द्वारा अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अपर लोक अभियोजक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (क) इन नियमों को अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अपर लोक अभियोजक भर्ती नियमावली , 2022 कहा जायेगा।

   (ख) ये शासकीस राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग** :– ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में र्निदिष्ट पदो ंके लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यता इत्यादिः**– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **बचावः**– इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अपर लोक अभियोजक के पद की भर्ती नियम।

1.	**पदनाम**	:	अपर लोक अभियोजक
2.	**पदों की संख्या**	:	' 132 (2022) ' (इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित वर्ग 'क'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स स्तर –11 (67,700 – 2,08,700/– रूपये)
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	अनिवार्य : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं अनुभव मानक टीप : लागू नहीं योग्यता मानक टीप : लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता – लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पद्धति : पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिशत : 100
11.	**यदि पदान्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया**	:	**पदोन्नति :** सहायक लोक अभियोजक के रूप में 6 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –8 (47600 – 1,51,100/– रूपये) में तथा विभाग द्वारा

	जाना है		यथानिर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सहायक लोक अभियोजक । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त या सांवधिक संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान /मानयता प्राप्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारीः– क. (i) मूल संवर्ग या विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100 – 177500/–रूपये) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पॉच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले :– **अनिवार्य :** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से विधि में उपाधि (ii) विधिज्ञ में सात वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** सरकारी अधिवक्ता के रूप में एक वर्ष का अनुभव । **टीप 1** – जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष , इसमें जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टोप 2** – केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। **मानक टीप** : लागू नहीं ।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	विभागीय पदोन्नति समितिः 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– अध्यक्ष 2. संबंधित सचिव , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. निदेशक, अभियोजन , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 4. लागू नहीं – सदस्य 5. लागू नहीं – सदस्य विभागीय स्थाईकरण समिति 1. लागू नहीं – अध्यक्ष 2. लागू नहीं – सदस्य 3. लागू नहीं – सदस्य 4. लागू नहीं – सदस्य 5. लागू नहीं – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एल. के. गौतम, उप सचिव (गृह)

HOME-DEPARTMENT-DOP BRANCH

NOTIFICATION

Delhi, the 17th February, 2022

No. F. 11/18/2020/H-DOP/RR-III/756-764.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.F.24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968, and in supersession of the No.F.13/17/94/DOP/HP-II/344-350 dated the 19th January, 2004 Recruitment Rules in so far as they relate to the post of the Additional Public Prosecutor, and anything done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes the rules regulating the method of recruitment to the post of the Additional Public Prosecutor in the Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

1. **Short title and commencement** :–

(a) These rules may be called the Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi, **Additional Public Prosecutor** Recruitment Rules -2022**.**

(b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application:-** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, its classification and Pay level in the pay matrix:-** The number of said posts, its classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualification, etc-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification:-** No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to Relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR ADDITIONAL PUBLIC PROSECUTOR IN DIRECTORATE OF PROSECUTION GOVERNMENT OF NATIONAL CAPTIAL TERRITORY OF DELHI.

Name of Post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Level in the pay Matrix**	**Whether Selection post/ Non-Selection post**	**Age Limits for Direct Recruits.**	**Educational and other Qualification required for direct recruits**	**Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees**
1	2	3	4	5	6	7	8
ADDITIONAL PUBLIC PROSECUTOR	132(2022) *Subject to variation dependent on workload	**General Central Service** Non Ministerial Gazetted	11 Remark: Level 11 (Rs.67700-208700) in the Pay Matrix	Selection Post	Not Applicable	**Essential :-** **Qualification:** N.A. **Experience**:	AGE: NA Edu.Qual: NA

		Group, A				N.A. **Desirable**:- **Qualification:** N.A. **Experience**: N.A. **Experience Standard Note**: N.A. **Qualification Standard Note**: N.A.	

Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Prom/Dep./abs. grades from which prom/dep./abs. to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making Recruitment
9	10	11	12	13
2 Years.	**Method**: Promotion failing which Deputation including Short Term Contract **Percentage**: 100	**Promotion:** Assistant Public Prosecutor in Level 8 (Rs. 47,600 - 1,51,100) in the Pay Matrix with 6 years of regular service as Assistant Public Prosecutor; and having successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant field as prescribed by the department. Deputation (including short term contract): Officers under the Central/State Governments/UTs/Autonomous or Statutory organisations/Public Sector Undertakings/ Recognised Research Institutions/Recognised Universities:- a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 10 (Rs. 56100-177500) of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: Essential: (i) A Degree in Law of a Recognized University/Institute. (ii) seven years experience at the Bar. **Desirable:** One year Experience as Government Advocate. **Note-1:-** Where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	**Departmental Promotion Committee** 1.CHIEF SECRETARY, GNCTD (Chairman) 2.SECRETARY CONCERNED, GNCTD(Member) 3.DIRECTOR PROSECUTION, GNCTD(Member) 4. NA (Member) 5. NA(Member) **Departmental Confirmation Committee** 1. NA (Chairman) 2. NA (Member) 3. NA (Member) 4. NA (Member) 5. NA (Member)	Consultation with UPSC is necessary on each occasion.

		requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note-2:** Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central govt shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications. Standard Note: NA		

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

L.K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-1)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.02.22 16:50:39 +05'30'